

## न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक/प्रशासन गांवों के संग अभियान/2023/78

दिनांक :- 30.05.2023

राजस्व वाद सं. 55/2023

GCMS No. #2023/151

उनवान प्रकरण :- गोपालराम बनाम तहसीलदार

### —: आदेश:—

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का प्लान व भूअ.नि. चितावा की रिपोर्ट तथा नायब तहसीलदार चितावा/तहसीलदार कुचामनसिटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)                                 | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)  |
|----------|-------|-------------|--|---|
| 1        | शिव   | 42          | गोपालराम पुत्र हडमान हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार | गोपालराम पुत्र हणमानराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार |
| 2        | शिव   | 73          | गोपालराम पुत्र हडमान हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार   | गोपालराम पुत्र हणमानराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार   |

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

क्रमांक/2023/79-80

दिनांक :- 30.05.2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी गोपालराम पुत्र हणमानराम जाति जाट सा. शिव तह. कुचामनसिटी को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

